GOVERNMENT OF RAJASTHAN
TRANSPORT DEPARTMENT

No. F 7(47)/Pari/Rules/H.Q./2008/Part I/20306 Jaipur, Dated: 08/9/2016

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government in supersession of all previous notifications issued in this behalf hereby authorize,-

(1) All the officers not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector, Assistant Sub-Inspector of Police and Traffic Police to compound the offences committed under the said Act and punishable under section specified in column 2 of the Schedule-1 below for the amount specified in corresponding column 3 of the said schedule.

Schedule-1

S.No.	Section under which the offence committed is to be compounded	Amount in Rupees For which the offence is to be compounded
1	2	3
1.	177 (general provisions)	100/- for first offence 300/- for subsequent offence
2.	179(1) (disobedience of any direction or obstructs any function by a Driver)	500/-
3.	179(2) (refusal to give information or gives false information)	500/-
4.	180 (allowing unauthorized person to drive)	1000/-
5.	181 (driving vehicles without having a valid license)	500/-
6.	183(1) (driving at excessive speed)	400/- for first offence 750/- for subsequent offence
7.	183(2) (causes any person to drive at excessive speed)	300/- for first offence 500/- for subsequent offence
8.	184 (i) Driving dangerously (ii) Using mobile phone while driving	 1000/- 500/-for first offence

24

		1000/- for subsequent offence
9.	189 (takes part in a race and trial of speed without consent)	500/-
10.	190(2) (drive a polluted motor vehicle in a public place)	(i) 100/- two wheelers having engine capacity 50 c.c. (ii) 250/- Other Two wheeled vehicles (iii) 500/- Non- transport vehicle other than two wheeler (iv) 500/-Three-wheeled Transport vehicle (v) 1000/- Transport vehicle other than three wheeled vehicles
11.	190(2) (non- fitment of reflectors as per road safety norms)	500/-
12.	192 Using vehicle without registration or fitness:- (i) Two wheeled or three wheeled motor vehicle (ii) Passenger vehicles other than Two wheeled or three wheeled motor vehicle (iii) Agriculture Tractor/ trailer (iv) Goods vehicle	 2000/- for first offence 5000/- for subsequent offence 5000/- for first offence 10,000/- for subsequent offence 2000/- 5000/- for first offence 10,000/- for subsequent offence
13.	194 In contravention of Section 115 (driving in No-entry zone)	500/-
14.	196 Driving uninsured vehicle:- (i) Two wheeler (ii) Non-transport vehicle other than two-wheeler (iii) Transport vehicle	 250/- 500/- 1000/-
15.	198 (unauthorised interference with vehicle)	100/-

(2) Following officer to compound the offences committed under the said Act and punishable under section specified in column 2 of the Schedule-2 below for the amount specified in corresponding column 3 of the said schedule,-

(i) All the officers not below the rank of Motor Vehicle Sub-Inspector throughout the State.

21

(ii) (a) Deputy Superintendent of Police/Circle Officer, SHO not below the rank of Sub-Inspector throughout the State except Jaipur city;

(b) any officer not below the rank of Assistant Sub-Inspector of Traffic Police in Jaipur city;

(c) In Range Headquarters not below the rank of Sub-Inspector of Traffic Police; and

(d) In areas other than range headquarters Inspector of Traffic Police and Inspector of Mobile Traffic Units throughout the State.

Schedule-2

S. No.	Section under which the offence committed is to be compounded	Amount in Rupees For which the offence is to be compounded
1	2	3
1.	178(1) (travelling without ticket or pass in a stage carriage)	Ten times the fare or Rs. five hundred, whichever is less.
2.	178(2) (fails or refuses to supply a ticket or pass in a stage carriage[For Conductor])	Ten times the fare or Rs. five hundred, whichever is less
3.	178(3)(a) (refusal to carry the passengers by the driver of a two-wheeled or three-wheeled contract carriage)	50/-
4.	178(3)(b) (refusal to carry the passengers by the driver of a contract carriage other than two-wheeled or three-wheeled Contract Carriage)	200/-
5.	182(1) (driving a motor vehicle in a public place after disqualification under the Act or obtains a license without disclosing the endorsement made on a driving license which is previously held)	500/-
6.	182(2) (act as a Conductor of a stage carriage in a public place obtains a new conductor license without disclosing the endorsement made on a Conductor's license which is previously held)	100/-
7.	186 (driving when mentally or physically unfit to drive)	200/-for first offence 500/- for subsequent offence
8.	191 (make alteration in a vehicle and sale without permission[by Dealer])	500/-

21

9.	194(Police and traffic department are not empowered) In contravention of Section 113 (driving vehicle exceeding permissible weight)	(i) 500/- up to 03 tons or part thereof (ii) In addition to above 1000/-. for each ton or part thereof, in case of excessive weight is more than 03 tons and not more than 10 tons (iii)In addition to above 1500/-, for each ton or part thereof, in case of excessive weight is more than 10 tons

By the order of Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to the Government

No. F 7(47)/Pari/Rules/H.Q./2008/Part I/20307 to 20319 Jaipur, Dated: 08/9/2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Superintendent, Government Central Press, Jaipur. This notification may kindly be published in the extra-ordinary Gazette dated 08.09.2016 and a copy thereof may be sent to this department.
2. P.S. to Secretary, Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. S.A. to Hon'ble Transport Minister, Rajasthan, Jaipur.
4. S.A. to Hon'ble State Minister, Department of Transport, Rajasthan, Jaipur.
5. P.S. to Principal Secretary Finance, Rajasthan, Jaipur.
6. P.S. to Principal Secretary and Transport Commissioner to the Government of Rajasthan, Jaipur.
7. Accountant General (Commercial & Receipt Audit) Rajasthan, Jaipur.
8. Law (Codification) Department, Jaipur.
9. All Head Quarter Officers of Transport Department, Jaipur.
10. Shri Sanjay Singhal, S.A. for updating departmental website.
11. All Regional/Addi. Regional /District Transport Officers.
12. All Officer In-charge Tax Collection Centers of Transport Department.
13. Guard file.

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
परिवहन–विभाग

क्रमांक: एफ–7(47)परि / नियम / एचक्यू / 2008 / पार्ट I / 20306 जयपुर,दिनांक: 08/9/2016

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 200 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस निमित्त जारी की गयी इस विभाग की गई समस्त अधिसूचनाओं को को अतिष्ठित करते हुए, इसके द्वारा :–

(1) मोटर वाहन उप निरीक्षक, पुलिस और यातायात पुलिस के समस्त अधिकारियों को, जो सहायक उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों, उक्त अधिनियम के अधीन कारित और नीचे अनुसूची–1 के तत्स्थानी स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट रकम के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है।

अनुसूची – 1

क्र.स.	धारा जिसके अधीन किये गये अपराधों का शमन किया जाना है	रकम रूपयों में जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है
1	2	3
1.	177 (साधारण उपबंध)	100 / – प्रथम अपराध हेतु 300 / – पश्चातवर्ती अपराध हेतु
2.	179(1) (ड्राईवर द्वारा किसी निर्देश की अवज्ञा या किसी कृत्य के निर्वहन में बाधा डालना)	500 / –
3.	179(2) (जानकारी देने से इंकार करना या मिथ्या जानकारी देना)	500 / –

4.	180 (अप्राधिकृत व्यक्ति को यान चलाने की अनुमति देना)	1000/–
5.	181 (विधिमान्य अनुज्ञप्ति के बिना यान चलाना)	500/–
6.	183(1) (अत्यधिक गति से यान चलाना)	400/– प्रथम अपराध पर 750/– पश्चातवर्ती अपराध पर
7.	183(2) (अन्य व्यक्ति से अत्यधिक गति पर यान चलवाना)	300/– प्रथम अपराध पर 500/– पश्चातवर्ती अपराध पर
8.	184 (i) खतरनाक तरीके से यान चलाना (ii) यान चलाते हुए मोबाईल फोन का उपयोग करना	 1000/– 500/– प्रथम अपराध पर 1000/– पश्चातवर्ती अपराध पर
9.	189 (बिना सहमति के किसी दौड़ और गति के परीक्षण में भाग लेना)	500/–
10.	190(2) (सार्वजनिक स्थान में प्रदूषित मोटर यान चलाना)	(i) 100/– 50 सी.सी. तक इंजन क्षमता वाले दुपहिया यान (ii) 250/–अन्य दुपहिया यान (iii) 500/–दुपहिया से भिन्न अपरिवहन यान (iv) 500/– तिपहिया परिवहन यान (v) 1000/–तिपहिया यान से भिन्न परिवहन यान
11.	190(2) (सड़क सुरक्षा मानकों के अनुसार रिफ्लेक्टरों का फिट न किया जाना)	500/–
12.	192 रजिस्ट्रीकरण या यान के ठीक हालत में होने के प्रमाणपत्र के बिना यान का उपयोग :– (i) दो पहिया या तीन पहिया मोटर यान (ii) दो पहिया या तीन पहिया मोटर	 2000/– प्रथम अपराध पर 5000/– पश्चात्वर्ती अपराध पर 5,000/– प्रथम अपराध पर

	यान से भिन्न यात्री यान (iii) कृषि ट्रेक्टर/ट्रेलर (iv) माल यान	10,000/– पश्चात्वर्ती अपराध पर 2000/– 5,000/– प्रथम अपराध पर 10,000/– पश्चात्वर्ती अपराध पर
13.	194 धारा 115 के उल्लंघन पर (नो एंट्री जोन में यान चलाना)	500/–
14.	196 (अबीमाकृत यान को चलाना) **(i)** दो पहिया **(ii)** दो पहिया से भिन्न गैर–परिवहन यान **(iii)** परिवहन यान	250/– 500/– 1000/–
15.	198 (यान के साथ अप्राधिकृत हस्तक्षेप)	100/–

(2) निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन कारित और नीचे अनुसूची–2 के तत्स्थानी स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट रकम के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 में विर्निदिष्ट धारा के अधीन दण्डनीय अपराधों के शमन के लिए प्राधिकृत करती है :–

(i) सम्पूर्ण राज्य में, समस्त अधिकारी जो मोटर यान उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे के न हों।

(ii)(क) जयपुर शहर को छोड़कर सम्पूर्ण राज्य में, पुलिस उप–अधीक्षक/वृत्त अधिकारी, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जो उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो,

(ख) जयपुर शहर में कोई अधिकारी जो यातायात पुलिस के सहायक उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो।

(ग) रेंज मुख्यालयों में यातायात पुलिस के उप–निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, और

(घ) संपूर्ण राज्य में रेंज मुख्यालयों से भिन्न क्षेत्रों में, यातायात पुलिस का निरीक्षक और मोबाईल यातायात इकाईयों का निरीक्षक।

अनुसूची–2

क्र.स.	धारा जिसके अधीन किये गये अपराधों का शमन किया जाना है	रकम रूपयों में जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है
1	2	3
1.	178(1) (मंजिली गाड़ी में टिकट या पास के बिना यात्रा करना)	किराए का दस गुना या पांच सौ रू. जो भी कम हो।
2.	178(2) (मंजिली यान में टिकट या पास देने में असफल रहना या इंकार करना) (कंडक्टर के लिए)	किराए का दस गुना या पांच सौ रू. जो भी कम हो।
3.	178(3)(क) (दो पहिया अथवा तीन पहिया ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा यात्रियों को ले जाने से इंकार करना)	50/–
4.	178(3)(ख) (दो पहिया या तीन पहिया ठेका गाड़ी से भिन्न ठेका गाड़ी के ड्राईवर द्वारा यात्रियों को ले जाने से इंकार करना)	200/–
5.	182(1) (अधिनियम के अधीन निरर्हता के पश्चात् सार्वजनिक स्थान में मोटर यान चलाना या पहले से धारित चालन अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को प्रकट किए बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त करना)	500/–
6.	182(2) (अधिनियम के अधीन निरर्हता के पश्चात् सार्वजनिक स्थान में मंजिली गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य	100/–

	करना या पहले से धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकन को प्रकट किए बिना नई कंडक्टर अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना))	
7.	186 (यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना)	200/— प्रथम अपराध पर 500/— पश्चातवर्ती अपराध पर
8.	191 (अनुज्ञा के बिना यान में परिवर्तन करना और विक्रय करना (व्यवहारी द्वारा))	500/—
9.	194 (पुलिस और यातायात विभाग सशक्त नहीं है) धारा 113 के उल्लंघन पर (अनुज्ञेय भार से अधिक यान चलाना)	(i) 500/— 03 टन तक या उसके भाग के लिए (ii) उपयुक्त के अतिरिक्त, 1000/—, प्रत्येक टन या उसके भाग के लिए, उस दशा में जहां अत्यधिक भार 03 टन से अधिक है और 10 टन से अधिक नहीं है (iii) उपर्युक्त के अतिरिक्त, 1500/— प्रत्येक टन या उसके भाग के लिए, उस दशा में जहां अत्यधिक भार 10 टन से अधिक है

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ.मनीषा अरोड़ा)
संयुक्त शासन सचिव (मु.)

क्रमांकः एफ–7(47)परि / नियम / एचक्यू / 2008 / पार्ट I / 22307-15 जयपुर,दिनांकः 08/9/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजकीय राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ....में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित अंक की प्रति इस विभाग को भिजवाने हेतु।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
7. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
8. विधि (संहिताकरण) विभाग, जयपुर।
9. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
10. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
11. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक / जिला परिवहन अधिकारी......................समस्त।
12. समस्त प्रभारी अधिकारी कर संग्रह केन्द्र, परिवहन विभाग।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव(मु.)